न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 3108–दो/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 02–06–14 पारित अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक 761/अ–70/12–13 अपील.

उमेश कमार आत्मज नारायण अवस्थी
निवासी शहपुरा वार्ड क0–2, तह0 शहपुरा,
जिला जबलपुर, म0प्र0 ––– आवेदक

विरूध्द

1– रम्मूलाल पिता नारायण प्रसाद
2– भूरा पिता नारायण प्रसाद
3– भूल्लन पिता नारायण प्रसाद
4– श्रीमती केशरबाई बेवा नारायण प्रसाद
सभी निवासी कांचघर, शीतला माई मंदिर
के पास, धमापुर, जबलपुर, म0प्र0 ––– अनावेदकगण

श्री ब्ही0के0 लहारिया, अभिभाषक – आवेदक
श्री डी0के0 शर्मा, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 19 – 06 –,2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के अपील प्रकरण कमांक 761/अ–70/12–13 में पारित आदेश दिनांक 02–06–14 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण रम्मू आदि व्दारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया कि अनावेदकगण मौजा झोंझी स्थित भूमि खसरा नं0 189/1 रकबा 0.48 हे0 के भूमिस्वामी एवं मालिक काबिज हैं। अनावेदकगण ने अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य के उपरोक्त खसरा नं0 189/1 का राजस्व नक्शा में तरमीम कर बटांक नम्बर कायम नहीं होने से तरमीम हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था। इस आवेदनपत्र के आधार पर पारित आदेशानुसार दिनांक 25–11–2010 को स्थल पंचनामा समक्ष गबाहों के संबंधित हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक व्दारा तैयार कर विधिवत मौके पर सीमांकन कर

आवेदकगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य के खसरा नं0 189/1 की राजस्व नक्शा में तरमीम कर बटांक नम्बर कायम किये गये। सीमांकन में खसरा नं0 189/1 की भूमि पर अनावेदक/आवेदक व्दारा अनाधिकृत रूप से बेजा कब्जा कर चना एवं मटर की फसल बोई जाना पाया गया जिसके आधार पर अनावेदकगण को अपने स्वामित्व की भूमि पर अनावेदक/आवेदक व्दारा बेजा कब्जा किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई। अतः उन्होंने बेजा कब्जा हटाकर ख0नं0 189/1 रकबा 0.48 हे0 का कब्जा वापिस दिलाये जाने का अनुरोध किया। आवेदनपत्र के साथ पंचनामा दिनांक 25–11–10 की फोटो प्रति भी पेश की गयी। विचारण तहसील न्यायालय व्दारा प्रकरण पंजीबध्द कर कार्यवाही प्रारम्भ की और आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अपने आदेश दिनांक 19–03–12 व्दारा प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदकों को सौपने के आदेश दिये। तहसीलदार ने संहिता की धारा 250(6) के अन्तर्गत अनावेदकों को 2000/– रू. प्रति हेक्टर के अनुपात में 960/– रूपये की राशि प्रदान करने तथा न्यायालय में उपस्थित होकर रू. पॉच हजार का बंधपत्र निष्पादित करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी अपीलें अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 24–01–13 तथा 02–06–14 व्दारा खारिज की। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। निगरानी में आवेदक अभि. व्दारा अपने लिखित तर्कों में यह मुद्दा प्रस्तुत किया है कि अनावेदकगण ने विचारण तहसील न्यायालय में स्थल पंचनामा दिनांक 25–11–10 की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है जो प्रमाणित प्रतिलिपि की छाया प्रति भी नहीं है। उनका तर्क है कि यह दस्तावेज फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज है। आवेदक के भाई ने सूचना प्राप्त करने के अधिकार के तहत आवेदनपत्र प्रस्तुत कर उक्त तथाकथित स्थल पंचनामा एवं नक्शा तरमीम बावत पंजीबध्द प्रकरण की जानकारी चाही गयी जिसमें तहसीलदार, शहपुरा व्दारा कार्यालयीन पत्र कमांक 228/तह.प्रवा./2015 शहपुरा दिनांक 23–4–15 के तहत जानकारी दी गयी है कि 'दायरा पंजी का अवलोकन किया गया जिसमें नक्शा

तरमीम संबंधी कोई प्रकरण दर्ज नहीं पाया गया और ना ही न्यायालय में संस्थित है।' उक्त प्रपत्र के साथ रा.प्र.क. 03/अ–70/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 19–03–12 की प्रति संलग्न कर प्रदाय की गयी है। इससे स्पष्ट है कि अनावेदकगण ने गवाहों से मिलकर तथा संबंधित पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक से दुरभिसंधि कर तथाकथित पंचनामा दिनांक 25–11–10 की कूटरचना की है। आवेदक अभिभाषक का यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पूर्व दिशा में "कच्ची सैर" से लगी हुई है। अनावेदकगण के पिता तीन भाई नारायण प्रसाद, रामप्रसाद एवं प्रेमलाल थे। मूल खसरा नं0 189 रकबा 3.81 हे0 में से पारिवारिक बटवारानामा के तहत नारायण प्रसाद को खसरा नं0 189/1 रकबा 1.91 हे0, रामप्रसाद को खसरा नं0 189/2 रकबा 0.95 हे0 एवं प्रेमलाल को खसरा नं. 189/3 रकबा 0.95 हे0 भूमियॉ अन्य भूमियों के साथ प्राप्त हुई। रामप्रसाद ने अपने हिस्से की भूमि खसरा नं0 189/2 आवेदक के पिता स्व. गिरीश नारायण अवस्थी को तथा प्रेमलाल ने अपने हिस्से की भूमि 189/3 आवेदक की मॉ श्रीमती इमरतीबाई को विक्रय की गयी। नारायण प्रसाद की मृत्यु के बाद 189/1 की भूमि अनावेदकगण के नाम दर्ज हुई। अनावेदकगण ने खसरा नं. 189/1 रकबा 1.91 हे0 भूमि में से पूर्व दिशा में स्थित 'कच्ची सैर' से लगकर 1.43 हे0 भूमि पंजीबध्द बयनामा दिनांक 8–5–98 व्दारा सीताराम पाठक को विक्रय कर दी। अनावेदक के स्वामित्व में खसरा नं0 189/1 की शेष 48 हे0 भूमि उत्तर पश्चिम तरफ कोने में प्रेमलाल पाठक की भूमि से लगी हुई शेष बची है, पूर्व दिशा में स्थित 'कच्ची सैर' की तरफ अनावेदकगण की कोई भूमि नहीं है। अनावेदकगण व्दारा सीताराम पाठक को विक्रय की गयी भूमि में से पूर्व दिशा में स्थित 'कच्ची सैर' से लगकर 0.40 हे0 भूमि पंजीकृत विक्रयपत्र व्दारा सीताराम पाठक ने आवेदक के पिता गिरीश नारायण अवस्थी को विक्रय कर दी। इस प्रकार आवेदक एवं माता पिता मूल खसरा नं. 189 में से 2.30 हे0 भूमि के भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने फर्जी, बनावटी एवं कूटरचित स्थल पंचनामें के आधार पर आदेश पारित किये गये हैं। प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक 20–22 वर्षों से लगातार काबिज है जिस पर उसने वर्ष 1991–92 में ट्यूबवेल खुदवाया तथा पम्प बगैरह लगातर विधिवत म0प्र0

राज्य विद्युत मंडल से विद्युत कनेक्शन लिया तथा खेती की उपज एवं उपकरण आदि रखने के लिये मकान का निर्माण भी 1991 में किया। अनावेदकगण व्दारा कभी कोई आपत्ति नहीं की गयी, इसलिये धारा 250 का आवेदनपत्र प्रचलन योग्य नहीं है। आवेदक व्दारा जालसाजी एवं धोखाधड़ी की रिपोर्ट दिनांक 12–5–15 को कलेक्टर, जबलपुर एवं पुलिस अधीक्षक, जबलपुर को की गयी है। आवेदक व्दारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी की फोटो प्रति तथा थाना प्रभारी, पुलिस थाना शहपुरा भिटोनी को की गयी शिकायती आवेदनपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी है। उनका अन्त में तर्क है कि राजस्व मण्डल व्दारा दिनांक 16–9–14 को आवेदक के पक्ष में स्थगन आदेश जारी कर आदेशों का कियान्वयन स्थगित किया गया था, किन्तु जबलपुर कैम्प पर पीठासीन अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण स्थगन की समयावधि नहीं बढायी जा सकी और अनावेदकगण दिनांक 30–3–15 को प्रश्नाधीन भूमि एवं उस पर बने हुए मकान का कब्जा प्राप्त कर लिया है और मकान में रखी सामग्री जप्त कर ली गयी है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार कर कब्जा वापिस लिये जाने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में यह बताया गया है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा तथ्य के संबंध में समवर्ती निष्कर्ष निकाले हैं। प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 198/1 रकबा 0.48 'नारायण की टुकिया' खेत के नाम से पहचानी जाती है जो अनावेदकगण के स्वामित्व की भूमि है। इस भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी व्दारा दिनांक 25–11–10 को किया गया। इस सीमांकन में आवेदक के पुत्र, पिता एवं भाई उपस्थित थे। सीमांकन में आवेदक व्दारा चना, मटर की फसल बोकर अवैध कब्जा करना पाया गया था। इसी सीमांकन के आधार पर कब्जा दिलाने के लिये अनावेदकगण व्दारा आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। यह निर्विवादित है कि दिनांक 25–11–10 को आर. आई. एवं पटवारी व्दारा किये गये सीमांकन के विरूध्द आवेदक व्दारा कोई अपील/निगरानी नहीं की गयी है, इसलिये सीमांकन दिनांक 25–11–10 अंतिम हो चुका है। प्रश्नाधीन भूमि कृषि भूमि पर और उस पर बना मकान आबादी क्षेत्र में ना होकर कृषि भूमि पर है, इसलिये धारा 250

के प्रावधान लागू होते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के तहत प्रश्नाधीन सम्पूर्ण भूमि का कब्जा अनावेदकगण को प्रदान कर दिया गया है तथा अन्तरवर्तीय लाभ के संबंध में प्रकरण व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 जबलपुर के समक्ष विचाराधीन है। आवेदक को अपना स्वामित्व सिध्द करने के लिये मान. व्यवहार न्यायालय में दावा प्रस्तुत करना चाहिये। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया है।

5/ विचारण तहसील न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अनावेदकगण के धारा 250 के आवेदनपत्र में अनावेदकगण व्दारा स्वयं यह उल्लेख किया है कि आवेदकगण/अनावेदकगण ने अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य के उपरोक्त खसरा नं0 189/1 का राजस्व नक्शा में तरमीम कर बटांक नम्बर कायम नहीं होने से तरमीम हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि 189/1 का राजस्व नक्शे में तरमीम कर बटांक नम्बर नहीं कायम होने से अनावेदकगण व्दारा नक्शे में तरमीम चाही गयी थी जिसके आधार पर दिनांक 25–11–10 को राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी व्दारा बनाये गये स्थल पंचनामें के आधार पर अनावेदकगण व्दारा प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा वापिस प्राप्त करने का अनुरोध संहिता की धारा 250 का आवेदनपत्र प्रस्तुत कर किया गया है। इसी पंचनामें के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों ने आदेश पारित किये गये हैं। आवेदनपत्र के साथ संलग्न किये गये पंचनामा की फोटो प्रति है जिसे तहसीलदार व्दारा प्रदर्श पी–1 अंकित कर केसरबाई पाठक के हस्ताक्षर 'ए से ए' अंकित किया है। तहसीलदार व्दारा किस प्रकरण कमांक में किस आदेश दिनांक व्दारा प्रश्नाधीन भूमि का नक्शा तरमीम एवं सीमांकन की पुष्टि की, इसका ना तो कोई उल्लेख अनावेदकगण व्दारा प्रस्तुत आवेदनपत्र में है और ना ही इस संबंध में कोई खुलासा बाद में तहसील न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों में किया गया है। इसके विपरीत आवेदक के भाई ने सूचना प्राप्त करने के अधिकार के तहत आवेदनपत्र प्रस्तुत कर उक्त तथाकथित स्थल पंचनामा एवं नक्शा तरमीम बावत पंजीबध्द प्रकरण की जानकारी चाही गयी जिसमें तहसीलदार, शहपुरा व्दारा कार्यालयीन पत्र कमांक 228/तह.प्रवा./2015 शहपुरा दिनांक 23–4–15 के तहत जानकारी दी गयी है कि 'दायरा पंजी का अवलोकन किया गया जिसमें नक्शा तरमीम संबंधी कोई प्रकरण दर्ज

नहीं पाया गया और ना ही न्यायालय में संस्थित है।' ऐसी स्थिति में विधिवत नक्शा तरमीम एवं सीमांकन होना नहीं माना जा सकता।

6/ इस प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि के पंचनामें को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेश पारित किये गये हैं। तहसील न्यायालय में पंचनामे की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी है। यह फोटो प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि की भी नहीं है। इस पंचनामें को राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी की साक्ष्य तहसील न्यायालय में लिपिबध्द कराकर प्रमाणित भी नहीं कराया गया है। सीताराम विरूध्द राजचरण तथा अन्य (ए. आई.आर 1995 म0प्र0 134) में माननीय उच्च न्यायालय व्दारा यह व्यवस्था दी है कि खसरा प्रविष्टि पटवारी की साक्ष्य से प्रमाणित नहीं करायी गयी, प्रविष्टि सही होने की धारणा नहीं की जा सकती। ऐसी दशा में तथाकथित पंचनामें की छाया प्रति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा निकाले गये निष्कर्ष विधि सम्मत नहीं है।

7/ यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि मूल खसरा नं0 189 का कुल रकबा 3.81 हे0 है। तहसीलदार ने अपने आदेश पृष्ठ 3 में स्वयं यह अंकित किया है कि तीनों भाईयों का बटवारा होने पर उक्त खसरे नं0 के तीन बटे 189/1, 189/2 तथा 189/3 हुए और 189/2 एवं 189/3 का विक्रय आवेदक के पिता एवं माता के पक्ष में किया गया। अनावेदक व्दारा अपने स्वत्व की भूमि 189/1 रकबा 1.91 हे0 में से 1.43 हे0 का विक्रय सीताराम को किया और सीताराम ने क्रय की गयी भूमि में से 0.40 हे. भूमि का विक्रय आवेदक के पिता गिरीश को किया। इससे स्पष्ट है कि पूर्व दिशा में कच्ची सैर से लगकर अनावेदकगण की अब कोई भूमि शेष नही बची है । ऐसी दशा में मूल खसरे नं0 189 के सभी क्रेताओं का बटांकनों कर विधिवत नक्शा तरमीम किया जाना चाहिये था। सिर्फ अनावेदकगण की भूमि का नक्शा तरमीम कर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता था कि अनावेदकगण की भूमि किस स्थान पर है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेश पारित करते समय इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। तहसीलदार के बिना किसी वैध नक्शा तरमीम और सीमांकन आदेश के प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की मानकर कब्जा वापिसी के आदेश देने में विधिक त्रुटि की गयी है।

8/ संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कब्जा वापिसी हेतु आवेदनपत्र 2 वर्ष की समयावधि में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनेकों न्याय दृष्टान्तों में यह प्रतिपादित किया गया है कि आवेदनपत्र सीमांकन के दिनांक से 2 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि सीमांकन से दो भूमिस्वामियों के खेतों की सीमा का निर्धारण होता है। कृषि कार्य के दौरान, खासकर जहॉ खेतों की मेढ़ होती है, सीमाओं का परिवर्तन शनै शनै और पक्षकारों के अनजाने होता रहता है तथा इसकी जानकारी सही ढ़ग से सीमांकन से ही मिल पाती है, किन्तु इस प्रकरण में खसरा नं0 189/1 के सम्पूर्ण रकबा 0.48 हे0 पर आवेदक का अनाधिकृत कब्जा होने के संबंध में आवेदनपत्र अनावेदकगण व्दारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि जब प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक व्दारा ट्यूब वेल एवं मकान का निर्माण कराया जा रहा था, अनावेदकगण को जानकारी नहीं थी, इसलिये ऐसे प्रकरण में समयावधि की गणना सीमांकन के दिनांक से करना संहिता की निहित प्रावधानो के अनुकूल नहीं है। ऐसी दशा में अनावेदकगण का धारा 250 का आवेदनपत्र समयावधि बाह्य होने से ग्राह्य योग्य नहीं था।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी का आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 02–06–14, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 24–01–13 तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 19–03–12 निरस्त किये जाते हैं। राजस्व मण्डल व्दारा आवेदक के पक्ष में स्थगन आदेश दिनांक 16–09–14 को जारी कर कियान्वयन तीन माह के लिये स्थगित किये जाने के आदेश दिये गये थे किन्तु नियत दिनांक 19–12–14 को पीठासीन अधिकारी कैम्प पर उपलब्ध नहीं होने से स्थगन पर कोई आदेश पारित नहीं किये गये। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने से प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,